भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2276
(दिनांक 12.03.2025 को उत्तर देने के लिए)

चुनाव के दौरान पेड न्यूज

2276. श्री चन्द्र प्रकाश जोशी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में विभिन्न चुनावों के दौरान या अन्यथा 'पेड न्यूज' के कुछ विशिष्ट मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा दोषी मीडिया कम्पनियों और इन मामलों में संलिप्त लोगों तथा उक्त 'पेड न्यूज' से लाभान्वित होने वाले लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है,

(घ) 'पेड न्यूज' के मामलों पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं, और

(ङ) राजस्थान में जानकारी में आए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री
(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (ङ): भारत निर्वाचन आयोग ने 'पेड न्यूज' से संबंधित शिकायतें प्राप्त करने और उन पर कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर तंत्र स्थापित किया है। पुष्टिकृत मामलों में शामिल व्यय को उन उम्मीदवारों के चुनाव व्यय में शामिल किया जाता है जिनके खिलाफ पेड न्यूज के मामले साबित होते हैं।

भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) भारत निर्वाचन आयोग या आम जनता द्वारा रिपोर्ट किए गए प्रिंट मीडिया में पेड न्यूज के मामलों पर प्रेस परिषद (जांच प्रक्रिया) विनियम, 1979 के विनियम 14 के तहत पेड न्यूज से संबंधित "पत्रकारिता के आचरण के मानक" के उल्लंघन में कार्रवाई करती है।

पीसीआई समाचार पत्रों द्वारा पेड न्यूज के मानदंडों के किसी भी गंभीर उल्लंघन पर विनियमन 13 के तहत स्वतः संज्ञान भी लेता है।

पीसीआई ने सूचित किया है कि विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश भर से पीसीआई को प्राप्त पेड न्यूज से संबंधित मामलों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	वर्ष	मामलों की संख्या
1	2021-22	74
2	2022-23	76
3	2023-24	28
4	2024-25 (अब तक)	290
कुल		468

उपरोक्त में से 2021-2022 में पेड न्यूज की तेरह (13) शिकायतें और 2024-25 में 111 शिकायतें राजस्थान राज्य से थीं।

प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के तहत निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद परिषद मामले दर मामले आधार पर दोषी प्रिंट मीडिया के खिलाफ कार्रवाई करती है और यदि वह संतुष्ट हो जाती है कि ऐसा करना आवश्यक है तो समाचार पत्र, समाचार एजेंसी या संपादक/पत्रकार को चेतावनी, भर्त्सना या निंदा या संपादक या पत्रकार के आचरण को अस्वीकार करती है।

*****